XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक अपील 266–पीबीआर / 10

जिला–रतलाम

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–1–15	इस प्रकरण में दिनांक 3–6–2010 के बाद से आवेदक की ओर से कोई उप. नही हो रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रूचि नहीं हैं । अतः आवेदक की रूचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । (एम.के.सिंह) सदस्य	

पाकर पट्ट का पजीयन कर अपीलांट को लौटाया हैं । मानकर उचित मुद्रांक

पक्षी/अभिभाषक श्री पवन शर्मा
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 22-3-10

न्यायालय श्रीमान् मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी महोदय,
राजस्व मण्ड़ल, मध्य प्रदेश ग्वालियार
अपील 266-PBR/10

श्री रामजस पिता श्री मदनलालजी विजयवर्गीय, आयु 45 वर्ष,
निवासी लक्कड़पीठा, रतलाम. .... अपीलांट

विरूद्ध

1.मध्य प्रदेश शासन द्वारा उप पंजीयक रतलाम
2.मध्य प्रदेश शासन द्वारा श्रीमान् कलेटर महोदय,
जिला रतलाम : म.प्र.: .... रेस्पांडेन्ट

क्रमांक 463
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 4.3.10 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

–अपील अन्तर्गत धारा 40 भारतीय स्टॉम्प अधिनियम–
–अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 05.11.2009 जो न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प
–जिला रतलाम द्वारा प्रकरण कमांक 60/बी–105/08–09 में पारित किया
–जिसमें अपीलांट को जो कमी मुद्रांक शुल्क व कमी पंजीयन शुल्क तथा अर्थदण्ड
–जमा कराने का आदेश दिया उससे असंतुष्ट होकर–

मान्यवर महोदय,